Regarding request for inclusion of the Banjara Community in the list of Scheduled Tribes- Laid

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर **(खीरी) :** मैं सरकार का ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय, उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित कराने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । बंजारा समाज को एस. टी. की सूची में शामिल किए जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को सात बार 1993, 1998, 2001, 2005, 2013, 2015 एवं 2019 में प्रस्ताव भेजे गए लेकिन आरजीआई, गृह विभाग बार बार प्रश्न कर टिप्पणी लगाता आ रहा है । उत्तर प्रदेश में अभी तक बंजारा समाज ओबीसी की सूची में दर्ज है, जबकि बंजारा समाज आदिवासी जनजाति समाज है जो कि सामाजिक विषमता का द्योतक है । जब आरक्षण अधिनियम संविधान द्वारा लागू हुआ था तभी बंजारा समाज को एसटी आरक्षण दे देना चाहिए था । संविधान के रचियताओं एवं संविधान सभा के किसी भी सदस्य का ध्यान बंजारा समाज जैसी जनजाति पर नहीं गया । उस दौरान अपने भारत देश में बनने वाली देश भक्ति सहित प्रत्येक फ़िल्म में भी बंजारा समाज की भूमिका का चित्रण अवश्य होता था जिससे स्पष्ट है कि आजादी की लड़ाई में बंजारा समाज का योगदान रहा है । बंजारा समाज आर्थिक, शैक्षणिक व बौद्धिक रूप से काफी पिछड़ा समाज है । अतः आदिवासी जनजाति बंजारा समाज आदिम प्रवृत्ति, भौगोलिक अलगाव, अन्य समुदाय से मिलने में संकोच, अत्यधिक पिछड़ापन एवं भिन्न संस्कृति संजोए हुए रुढ़िवादी रीती रिवाज एवं परंपरा से परिपूर्ण, भिन्न बोली भाषा बोलने वाला, सभी मापदंडों से परिपूर्ण अनुसूचित जनजाति का दर्जा एवं आरक्षण प्राप्त करने का हकदार है । अत: बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित कराने की यथाशीघ्र कृपा करें ।